



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052023-245732
CG-DL-E-05052023-245732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2016]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 2016]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2104(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 428 (अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में NH-30 (पुराना NH-07) रीवा से हनुमना खण्ड के कि.मी. 194.21 से कि.मी.228.976 तक के भूखण्ड पर 4-लेन चौड़ीकरण के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "11.02.2023" को "दैनिक जागरण" और "पत्रिका रीवा" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनगवां ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनगवां की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में NH-30 (पुराना NH-07) रीवा से हनुमना खण्ड के कि.मी. 194.21 से .मी.228.976 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: रीवा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मँगवान				
	गांव का नाम: खम्हारी कोठार 99				
1	54/3	निजी(भूखंड)	सिंचित	0.054	रामकुमार बिहारीलाल पिता राम सजीवन नाई (54/3)
2	55/3	निजी(भूखंड)	सिंचित	0.035	रामकुमार बिहारीलाल ऍस्/ओ राम सजीवन नाई (55/3)
		कुल		0.089	

[फा. सं. 1018/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2104(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O 428 (E) dated 25.01.2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Four Laning of Rewa to Hanumana Section of NH-30 (Old NH-07) on the stretch of land from Km 194.21 to Km 228.976 in the district of REWA in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagran” and “Patrika Rewa” both dated 11.02.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the CALA Mangawan;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the CALA Mangawan has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH30 in the stretch of land from Km 194.21 to Km 228.976 Rewa to Hanumana Section of NH-30 (Old NH-07) in the district of REWA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: REWA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mangawan				
	Village: Khamhari Kothar 99				
1	54/3	Private(Plot)	Irrigated	0.054	Ramkumar Biharilal s/o Ram sajeevan naai 54/3
2	55/3	Private(Plot)	Irrigated	0.035	Ramkumar Biharilal s/o Ram sajeevan naai 55/3
			TOTAL	0.089	

[F. No. 1018/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.